राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 19 /2024

लक्ष्मण सिंह गहलोत **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

..

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2024
आदेश की दिनांक : 24.01.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी पी त्रिवेदी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतनराम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 (1) राज्य सेवा से निलम्बित किया गया।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित दर्ज शिकायत के संबंध में दिनांक 18.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर के द्वारा डॉ सुनिल कुमार बिष्ट उपनिदेशक की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर के आदेश दिनांक 20.03.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा पूर्व में गठित जांच कमेटी को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया गया।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि जांच कमेटी को निरस्त करने के बावजूद जांच कमेटी ने अपीलार्थी के विरूद्ध जांच रिपोर्ट दिनांक 28.03.2023

दुर्भावनापूर्वक से पेश की। जिसकी पालना में निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने आदेश दिनांक 21.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी को राज्य सेवा से निलम्बित किया जो कि विधि विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को पुनः कार्यग्रहण करवाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. हमने अपीलार्थी की बहस सुनी। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी को निलम्बित किए जाने के साथ ही सीसीए नियम के नियम–16 के तहत आरोप पत्र भी दिनांक 21.12.2023 को जारी किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

SD/-
(असलम मेहर)
सदस्य

SD/-
(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य